Comprehensive Perspective Plan for Delhi

2175. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : SHRIMATI VEENA VERMA : SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the PHDCCI has demanded that a comprehensive perspective plan for Delhi 2050 AD be drawn out in view of fast increase in population due to heavy influx in the capital; and

(b) what is their precise demand; and what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Yes, Sir.

(b) The PHE Chamber of Commerce & Industry has suggested :—

(i) Comprehensive survey to determine the actual population residing in Delhi.

(ii) Upgradation of basic civic infrastructure to meet the requirements of thepopulation.

(iii) Identification of land required for urban extension of the city.

(iv) Policy relating to migration to Delhi.

(v) Diffusion & location of economic activity away from Delhi.

(vi) Focus on avenues for financial resource Mobilisation required for various projects to be undertaken.

2. DDA has reported that when new perspective plan for Delhi is prepared futuristic studies could be conducted on some of the above suggestions.

1098 RSS/94—14.

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा व्यावसायिक केन्द्रों का आवंटन

2176. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने क्षेत्र में विगत वर्षों के दौरान पंजीकृत सामाजिक संगठनों को रियायती दरों पर व्यावसायिक केन्द्र आवंटित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो संगठनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से आल इण्डिया रूरल वीमेन्स अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन नाम के सामाजिक संगठन को किया गया व्यावसायिक शापिंग केन्द्र का आवंटन 1992 में रद्द कर दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे, और

(ङ) क्या यह भी सच है कि 1990 में और उसके बाद भी नई दिल्ली नगर पालिका को इस संबंध में कई आवेदन भेजे गये थे कि संगठन जाली है और यदि हां, तो उन पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है ।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि आल इण्डिया रूरल वीमेंस अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन के नाम से स्टाल का आवंटन इस आधार पर रद्द कर दिया था कि पुलिस उपायुक्त (अपराध एवं रेलवे) की सूचनानुसार स्टाल में उप-किरायेदारी है तथा उक्त एसोसिएशन जाली है ।

(ङ) जी हां । आवेदन नई दिल्ली नगर पालिका में प्राप्त हुए थे तथा उन पर समुचित कारवाई

की गई थी । स्टाल नं. 12-बी जनपथ, नई दिल्ली का आवंटन रद्द किया गया था तथा पूर्वोक्त एसोसिएशन के विरुद्ध लोक परिसर (अनधिकृत दखलकार) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की गई थी ।

दिल्ली में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण

2177 **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों और भवन-निर्माताओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माण फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने कई भूखण्डों पर अवैध रूप से अपना कब्जा जमा रखा था; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) से (ग) तक दिल्ली के उपायुक्त ने बताया है कि दिल्ली के नियोजित विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की मांग पर, भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना, आदि की कार्रवाई अधिग्रहण विभाग/भूमि और भवन विभाग द्वारा की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, यदि, इसकी भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा होता है तो वह उस भूमि को खाली कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। तथापि, निजी भूमि के अनधिकृत कब्जे के मामले में शिकायतों को न्यायालय के माध्यम से निवारण की जिम्मेदारी भू-स्वामियों की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र में बिना पूर्वानुमति के कोई भूमि विकास अथवा भवन निर्माण नहीं हो सकता है। उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन में किया गया कोई निर्माण/विकास दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत गिराया जा सकता है ।

Sanitation in Urban Areas

2178. SHRI V. HANUMANTHARAO : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any concerted plan to increase sanitation in urban areas through out the country; and

(b) if so, the details of such schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGAN) : (a) and (b) The Government of India has launched a Low Cost Sanitation Scheme for the liberation of scavengers in urban areas throughout the country. The target is to convert all existing dry latrines into water seal pour flush units and to provide new units where none exist. Apart from liberating scavengers from the de-humanising practice, the scheme will also improve the sanitation in urban areas

The scheme is being operated through HUDCO by providing a mix of subsidy from the Central Govt. and loan from HUDCO in a synchronised manner as per the following financial pattern.

	Subsidy	Loan	Beneficiary's contribution
EWS	45%	50%	5%
LIG	25%	60%	15%
MIG/HIG	Nil	75%	25%